अनुसूचित जातियों की स्थिति-एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. संजय खरे
एसोसिएट प्राध्यापक - समाजशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

ऐतिहासिक तौर पर हिन्दू जाति व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ जातियों को अपवित्र मानकर उन्हें दूसरी जातियों के सम्पर्क से अलग कर दिया गया, ब्राह्मण जातियों को सबसे पवित्र मानकर उन्हें विशेष अधिकार दिये गये। पेशों और जन्म के आधार पर अनुसूचित जातियों पर अन्य जातियों के सम्पर्क पर आने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। यहाँ तक नियम बना दिया गया था कि कुछ जातियाँ इतनी अपवित्र हैं कि उन्हें देख लेने मात्र से ही दूसरी जाति के लोग अपवित्र हो जाते है। पुनः पवित्र होने के लिए उन्हें प्रायश्चित करना आवश्यक था। जाति प्रथा के अन्तर्गत चार प्रमुख जातियाँ - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं इन चारों के अतिरिक्त एक पंचम वर्ग जिसके सदस्यों को परम्परागत रूप से अस्पृश्य या अछूत कहा गया है। गाँधी जी ने उन्हें हरिजन का नाम दिया और सरकार ने उन्हें कुछ सुविधाएँ व संरक्षण देने के उद्देश्य से एक सूची के अन्तर्गत रखते हुए 'अनुसूचित जाति' के रूप में उनकी एक अलग पहचान बनाई। भारत सरकार अधिनियम -1935 में सर्वप्रथम 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग किया गया था। जबकि संविधान के अनुच्छेद 341 में 'अनुसूचित जाति' शब्द का उल्लेख किया गया है। जिसमें 542 जातियाँ शामिल हैं। आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से ये लगभग एक जैसी हैं।

स्वतंत्रता के समय देश में अनुसूचित जातियों की संख्या 5.17 करोड़ थी जो बढ़कर 1981 में 10.47 करोड़, 1991 में 13.82 करोड़ तथा 2001 में 16.66 करोड़ थी। 2011 की अतिंम जनगणना रिर्पोट के अनुसार देश में अनुसूचित जातियों की संख्या 201368086 है जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत है। 2001-2011 के दौरान अनुसूचित जातियों की दशकीय वृद्धि दर 20.8 प्रतिशत रही।

स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई कि परम्परागत रूप से जिन जातियों को अछूत माना जाता रहा है, उन्हें कानूनी संरक्षण और सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर ही उनकी दशा में सुधार किया जा सकता हैं। इस वर्ग को दी जाने वाली संवैधानिक, कानूनी और विकास सम्बन्धी सुरक्षाओं तथा सुविधाओं को समझने से पहले अनुसूचित जातियों को सवर्ण हिन्दुओं के साथ सम्पर्क रखने तथा सवर्ण जातियों द्वारा उपयोग करने से वंचित कर दिया गया। सार्वजनिक कुओं, तालाबों और मन्दिरों का उपयोग करने की उन्हे अनुमति नहीं दी गयी। यह व्यवस्था दी गयी कि अस्पृश्य जाति के लोग गाँव के बाहर रहेंगे। अनुसूचित जाति को अपवित्र मानकर उन्हें किसी तरह के धार्मिक आचरण करने की अनुमति नहीं दी गयी। आर्थिक जीवन में अनुसूचित जाति की स्थिति एक लम्बे समय तक बहुत दयनीय बनी रही। इन जातियों को केवल दो व्यवसाय करने की ही अनुमति दी गई। उनमें से एक सभी तरह की गन्दगी को साफ करना, तथा मरे हुए

पशुओं को उठाना और चमड़े से वस्तुएँ बनाने का काम ही अनकी आजीविका का साधन रह गया। मानवता के सम्पूर्ण इतिहास में इन जातियों का जितना अधिक शोषण हुआ है वैसा संसार के किसी दूसरे समाज में देखने को नहीं मिलता।

अनुसूचित जाति की स्त्रियों के बच्चा ना होना या बाँझपन होने या बच्चों के रोग ग्रस्त होने, या किसी को नजर लगने की धारणा पैदा हो जाने पर वे झाड़-फूँक करने वाले ओझाओं आदि की पूजा पाठ और मनौती मनाने में लगे रहते थे, जिसमें उन्हें कोई फायदा तो होता नहीं था, उल्टे वे थोड़ी बहुत जो रकम एकत्र कर पाते थे वह भी ऐसे कामों में निरर्थक खर्च हो जाती थी। पर आज यह सब बुराईयाँ भी खत्म हो गयी, अब लोग अस्पतालों मे अपने बच्चों का इलाज कराने लगे। यह पहला अवसर था जब अम्बेडकर के प्रयत्नों से यह महसूस किया जाने लगा कि अनुसूचित जाति की स्थिति में सुधार किये बिना उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से नही जोड़ा जा सकता। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत में होने वाले विकास और प्रगति के सुखद परिणामों पर देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। भारतीय लोक तन्त्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य इन कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान करना है, उनकी सुरक्षा का भार वहन करना है। ताकि धीरे-धीरे वे भी समाज के अन्य वर्गों के समान मूल सुविधाओं का उपयोग कर सकें। कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि इन अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक जीवन का विकास करे और कमजोर वर्गो के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाये। यह सच है कि पहले की तुलना में अनुसूचित जातियों की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है। लेकिन आज भी अधिकांश समस्याएँ किसी न किसी रूप में बनी हुई हैं।

कृष्णन ने अस्पृश्यता या दलितों के प्रति अत्याचार विषय पर अध्ययन किया उन्होंने पाया कि अस्यप्रश्यता लगभग समाप्त हो गई है, परन्तु फिर किसी न किसी रूप में कहीं कहीं यह उपस्थित है।

उद्देश्यः-

1. अनुसूचित जाति की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का पता लगाना।
2. अनुसूचित जाति की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाना।
3. अनुसूचित जाति की समस्याओं को जानना एवं समाधान हेतु उपायों को बताना।

शोध प्रारूप - प्रस्तुत शोध पत्र के लिए खुरई नगर के अम्बेडकर क्षेत्र को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया है। विकास की दृष्टि से पिछड़ा होने के कारण तथा सामंती संस्कृति के अस्तित्व के कारण अनुसूचित जाति की समस्याओं का वास्तविक स्वरूप देखने को मिलता है। इस क्षेत्र के लगभग 200 घरों की सूची नगर पालिका से ली और दैव निर्देशन प्रणाली द्वारा 100 परिवार का चुनाव कर सूचनादाताओं का चयन किया गया।

तालिका संख्या 1
शिक्षा सम्बन्धी विवरण

परिवार	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	20	20
प्राथमिक	55	55
उच्च प्राथमिक	25	25
योग-	100	100

उपर्युक्त : तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण उत्तर दाताओं में 55 (50 प्रतिशत) आज प्राथमिक शिक्षा के प्रति जागरूक है।

तालिका संख्या 2
परिवार का व्यवसाय

परिवार का व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
सरकारी सेवा	15	15
मजदूरी	65	74
अन्य	20	20
योग-	100	100

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आज भी ज्यादातर परिवार मजदूरी से ही अपना जीवन यापन कर रहे है।

तालिका संख्या 3
बीमार पड़ने पर कौन सी चिकित्सा अपनाते है?

चिकित्सा	संख्या	प्रतिशत
प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा	65	65
घरेलू उपचार	20	20
झाड़-फूँक	5	15
योग-	50	100

उपरोक्त : तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण उत्तरदाताओं में से 60 प्रतिशत परिवार प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा इलाज कराते हैं। जबकि 15 प्रतिशत घरेलू उपचार तथा 5 प्रतिशत परिवार झाड़-फूँक के द्वारा इलाज कराते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग बीमार पड़ने पर डॉक्टर से इलाज कराते हैं।

ISSN 2395-051X

तालिका संख्या 4

सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से स्वास्थ्य स्तर में सुधार

स्वास्थ्य में सुधार	संख्या	प्रतिशत
हाँ	85	80
नहीं	15	20
योग-	100	100

उपर्युक्त : तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 50 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जिनमें पहले की अपेक्षा सरकारी में स्वास्थ्य के स्तर में परिवर्तन हुआ है।

तालिका संख्या 5

क्या आपने सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया ?

सरकारी योजना लाभार्थी	संख्या	प्रतिशत
लाभ प्राप्त किया	75	40
कभी-कभी	20	32
कभी नहीं	05	28
योग-	100	100

उपर्युक्त : तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आज भी 40 प्रतिशत लोग ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं।

तालिका संख्या 6

उच्च जातियों समारोह में शामिल

समारोह में शामिल होना	संख्या	प्रतिशत
हाँ	45	20
नहीं	55	80
योग-	100	100

उपर्युक्त : तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अधिकाँश उच्च जातियाँ 80 प्रतिशत आज भी अनुसूचित जातियों को अपने समारोह में शामिल नहीं करते हैं।

निष्कर्ष - शताब्दियों के भेदभाव और शोषण के शिकार अनुसूचित जाति की स्थिति सुधारने के लिए संविधान ने छुआछूत को समाप्त किया तथा संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा सामाजिक प्रगति एवं नई अस्मिता के निर्माण

का अवसर प्रदान किए हैं। अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि अनुसूचित जाति के परिवारों में शिक्षा के बारे के प्राथमिक स्तर तक ज्ञान था। परिवार की व्यवसायिक स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि आज भी ज्यादातर परिवार मजदूरी से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ भी नही लें पाते। आज भी लोग बीमार पड़ने पर डॉक्टर के पास जाने की जगह झाड़-फूँक पर विश्वास करते हैं। परन्तु आज जागरूकता के चलते अधिकांश लोग बीमार पडने पर डॉक्टर से इलाज कराते हैं। हालांकि आज लोग अपने अधिकार स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के क्षेत्र में जागरूक हुए हैं। तुलनात्मक दृष्टि से इन जातियों की स्थिति में सुधार हुआ है। किन्तु उच्च जातियों की तुलना में वे पिछड़े हुए हैं -

सुझाव : सर्वप्रथम अनुसूचित जाति के सभी वर्ग के लोगों को साक्षर बनाने के लिए उनको अभिप्रेरत करने की आवश्यकता है एवं सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार अंतिम व्यक्ति तक होना आवश्यक है।

अनुसूचित जाति के लोगों को अच्छी तरह से सरकारी और गेर सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाय जिससे वे तथा उनका परिवार अधिक से अधिक लाभन्वित होगें। सभी वर्ग के लोगों को अंधविश्वास के दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए।

उन्हें साफ सफाई से रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए समय-समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते रहना चाहिए।

सन्दर्भ

1 मदन जी.आर. 'समाज कार्य', विवेक प्रकाशन, दिल्ली 2010 पृ 19

2 अंबेडकर बी. आर, 'कांग्रेस और गाँधी ने अछूतों के लिये क्या किया', सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली 2008, पृ. 254

3 महावल शकुंतला, 'अनुसूचित जातियों की जनगणना' प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2011, पृ. 9-25

4 सुमनाक्षर सोहनपाल, 'आदिम जाति चमार इतिहास धर्म व संस्कृति', भारतीय दलित साहित्य अकादमी, दिल्ली, 2002, पृ. 045

5 आगलावे प्रदीप, 'शूद्रों की खोज', सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली 2006, पृ. 163-164

6 कृष्णा पी. एस, 'अनटचेबिलिटी एण्ड एटोसिटी', क्वालिटी पब्लिशिंग कं., भोपाल, 2002, पृ. 262

7 मिश्रा नारायण, 'एक्सप्लोईटसन एण्ड एट्रोसिटीज ऑन द दलित इन इण्डिया', क्रानिकल पब्लीकेशन, न्यू देहली, 1994, पृ. 34

8 ''गौरव स्मृति'' ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति, राधा कमल मुकर्जी : चिन्तन परम्परा, वर्ष 15, अंक जुलाई - दिसम्बर 2014